भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 844
जिसका उत्तर बुधवार, 26 जून, 2019 को दिया जाना है

जनहित याचिका

844. डॉ. सुकान्त मजूमदार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायालय-वार कुल कितनी जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं ;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जनहित याचिका की आड़ में बड़ी संख्या में महत्वहीन याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार का ऐसी महत्वहीन याचिकाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 844, जिसका उत्तर तारीख 26.06.2019 को दिया जाना है, के भाग (ख) से भाग (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण</u>

(क) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (ङ) : जनहित याचिका, उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उसकी संबंधित रिट अधिकारिता के अधीन फाइल की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से यह संप्रेक्षित किया है कि न्यायालय को यह देखते समय सावधान रहना चाहिए कि जनता के ऐसे सदस्य, जो जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय के पास आते हैं, सद्भावपूर्वक कार्य कर रहे हैं और न कि व्यक्तिगत अभिलाभ या निजी लाभ या राजनैतिक उप्रेरणा या अन्य परोक्ष प्रतिफल के लिए कार्य कर रहे हैं। न्यायालय को जनहित याचिकाओं के नाम से व्यर्थ की याचिकाओं को फाइल करने के लिए किन्हीं लोगों, संगठनों और संस्थाओं को अपनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाना अनुज्ञात नहीं करना चाहिए। जनहित याचिका, अभिलेख न्यायालयों द्वारा घोषित एक विधि का नियम है। तथापि, याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति (या इकाई) को जनहित में फाइल किया जा रहा हो और न कि धनीय लाभ के लिए तुच्छ याचिका के रूप में। उत्तराखंड राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जनहित याचिका की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित निदेशों को जारी करना अनिवार्य हो गया है :-

(क). न्यायालयों को वास्तविक और सद्भाविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करना चाहिए और असंगत प्रतिफलों के लिए फाइल की गई जनहित याचिका को प्रभावी रूप से निरुत्साहित और नियंत्रित करना चाहिए।

(ख). प्रत्येक व्यष्टि न्यायाधीश को जनहित याचिका के निपटान के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया बनाने के बजाय प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए यह समुचित होगा कि वह वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करने और परोक्ष हेतुओं से फाइल की गई जनहित याचिका को निरुत्साहित करने के लिए उचित रूप से नियम विरचित करें। परिणामतः, हम यह अनुरोध करते है कि ऐसे उच्च न्यायालय, जिन्होंने अभी तक नियम विरचित नहीं किए हैं, उन्हें तीन मास के भीतर नियम विरचित करना चाहिए। प्रत्येक उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए नियमों की एक प्रति, तत्पश्चात् तुरंत इस न्यायालय के महासचिव भेजी जाए।

(ग). न्यायालयों को जनहित याचिका ग्रहण करने से पहले याची की विश्वसनीयता का प्रथमदृष्ट्या सत्यापन करना चाहिए।

(घ). न्यायालय को जनहित याचिका ग्रहण करने के पहले याचिका की अंतर्वस्तुओं की सत्यता के संबंध में प्रथमदृष्ट्या समाधान कर लेना चाहिए।

(ङ). न्यायालय को याचिका ग्रहण करने से पहले पूर्णतः यह समाधान कर लेना चाहिए कि सारवान जनहित अंतर्वलित है।

(च). न्यायालय को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसी याचिका को जिसमें अधिक जनहित, गंभीरता और अत्यावश्यकता अंतर्वलित है, अन्य याचिकाओं से वरीयता देनी चाहिए।

(छ). जनहित याचिका ग्रहण करने से पहले न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका का वास्तविक लोक हानि या लोक क्षति का प्रतितोष करने का उद्देश्य है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका को फाइल करने के पीछे कोई व्यक्तिगत अभिलाभ, निजी हेतु या परोक्ष हेतु न हो।

(ज). न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बाह्य और अंतरस्थ हेतु के लिए बाधक निकायों द्वारा फाइल की गई याचिकाओं के लिए उदाहरणात्मक खर्चें अधिरोपित करके या तुच्छ याचिकाओं और बाह्य प्रतिफलों के लिए फाइल की गई याचिकाओं को कम करने के लिए ऐसी ही समान असाधारण पद्धतियों को अपनाकर निरुत्साहित करना चाहिए ।

चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय, समय-समय पर इन व्यर्थ की याचिका की जांच करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करता रहा है, अत: इस प्रक्रम पर कोई और सरकारी कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई है।

****